बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Chandra Shekhar Kumar Raman, Add-Dhobinia, Makkhatakia, Naugachia, Dist-Bhagalpur, Pin-853204 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10037 दिनांक 18.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 23.09.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

24/10/2025

आदेश

संवेदक Chandra Shekhar Kumar Raman, Add-Dhobinia, Makkhatakia, Naugachia, Dist-Bhagalpur, Pin-853204 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया उपस्थित।

प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, नवगछिया के अधीन MMGSUY योजनान्तर्गत निविदा (टेन्डर आई0डी0–139263) में फर्जी Trading and Profit and Loss Statement (फर्जी कागजात) समर्पित करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक Chandra Shekhar Kumar Raman के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10037 दिनांक 18.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नरूपेण है:–

1. प्रश्नगत निविदा में संवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 का Trading and Profit and Loss Statement पर 752.64894 लाख अंकित किया गया।
2. तदोपरांत संवेदक द्वारा समर्पित Trading and Profit and Loss Statement का सत्यापन UDIN No. 23307427BHARET8254 से कराने पर पाया गया कि 752.64894 लाख के स्थान पर 53.98671 लाख प्रदर्शित हो रहा है।
3. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा निविदा में फर्जी Trading and Profit and Loss Statement (फर्जी कागजात) समर्पित किया गया है।
4. निविदा में फर्जी कागजात समर्पित करने के कारण संवेदक Chandra Shekhar Kumar Raman को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत विभागीय सकारण ज्ञापांक 10037 दिनांक 18.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया है।
5. उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 23.09.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन में बताया गया है कि साईबर कैफे द्वारा भुलवश फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है।

संवेदक द्वारा सुनवाई के क्रम संदर्भित निविदा में फर्जी कागजात समर्पित किये जाने के संबंध में क्षमायाचना करते हुए तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर Chandra Shekhar Kumar Raman (Regd. No-1200448) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर विचार करते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10037 दिनांक 18.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने की अवधि को घटाकर दिनांक 18.09.2025 से अगले 03(तीन) महीनों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

तद्नुसार वाद निष्पादित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–234 / 2025 11270 / पटना, दिनांक– 04/11/25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/25

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–234 / 2025 11270 / पटना, दिनांक– 04/11/25

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–234 / 2025 11270 / पटना, दिनांक– 04/11/25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–234 / 2025 11270 / पटना, दिनांक 04/11/25

निबंधित

प्रतिलिपि– संवेदक Chandra Shekhar Kumar Raman, Add-Dhobinia, Makkhatakia, Naugachia, Dist-Bhagalpur, Pincode-853204 को सूचनार्थ प्रेषित।

3/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–234 / 2025 11270 / पटना, दिनांक– 04/11/25

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव

30